



थाना बसई जगनेर पुलिस टीम ने चैकिंग अभियान के दौरान अन्तर्राज्यीय विद्युत उपकरण चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का ट्रान्सफार्मर व चोरी करने के उपकरण एवं गाड़ी मैक्स पिकअप व अवैध अस्लाह सहित गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/चोर/लुटेरों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी बसई जगनेर को पुलिस टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.08.2019 की रात्रि कोट बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग कर रहे थे कि दौराने चैकिंग गढ़ी बाजना (राजस्थान) की तरफ से एक गाड़ी पिकअप दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा गाड़ी को रूकने का इशारा किया गया तो गाड़ी चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त गाड़ी का पीछा किया गया तो करीब 2.5 किलोमीटर पीछा कर ओवर टेक कर बसई मोड़ पर पकड़ लिया गया तथा गाड़ी में सवार पीछे तीन व्यक्ति उतकर भागने लगे, जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो वे लोग रात्रि का समय व पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

गाड़ी में चालक सहित दो व्यक्तियों को घेर कर पुलिस टीम द्वारा जामा तलाशी लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व दो करतूस बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि साहव हम लोग बिजली के ट्रान्सफार्मर व मोटर, तार आदि एवं बिजली के उपकरणों चुराकर काफी मुनाफे से दूसरे स्थान पर बेचते हैं, जो व्यक्ति गाड़ी में से उतरकर भागे हैं वह भी हमारे साथ काम करते हैं। एवं इस गाड़ी में जो आपने पकड़ी है, इसमें एक ट्रान्सफार्मर व बिजली का अन्य सामान है, जिसको टोढ़ा वाला सींगनपुर थाना मासलपुर जनपद करौली राजस्थान से चोरी किया था तथा थाना क्षेत्र बसई जगनेर के तांतपुर से भी हमारे द्वारा जून माह में बिजली का ट्रान्सफार्मर चोरी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम जिस स्थान पर चोरी करते हैं उस स्थान को पूर्व में ही अच्छी तरह देखभाल व रास्तों की जानकारी करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं तथा चोरी किये हुए माल को दूर स्थान व अन्य राज्यों में अच्छे मुनाफे से बेचते हैं।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना बसई जगनेर जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 33/2019 धारा 411 भा.द.वि. व मु0अ0सं0 34/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

● **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-**

01. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी सामंतगढ़ थाना गढ़ी बाजना जनपद भरतपुर राजस्थान।
02. इन्वाराम पुत्र मानसिंह निवासी पत्तीपुरा थाना बसेड़ी जनपद धौलपुर राजस्थान।

● **फरार अभियुक्तगण का विवरण :-**

01. नरेश पुत्र मुंशी निवासी शाहगंज थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।
02. मनोज पुत्र रघुवीर सिंह निवासी पत्तीपुरा थाना बसेड़ी जनपद धौलपुर राजस्थान।
03. वकील पुत्र नामालूम निवासी सामंतगढ़ थाना गढ़ी बाजना जनपद भरतपुर राजस्थान।

● **बरामदगी का विवरण :-**

01. एक अदद बुलैरो मैक्स पिकअप रजि0न0- यू0पी0 83 बीटी 7587।
02. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .315 बोर।
03. एक ट्रान्सफार्मर 16 के.वी.ए. , 05 किलो विद्युततार ट्रान्सफार्मर का।
04. तीन केविल एल्युमीनियम तार, लाइन काटने का प्लास, कटाउट आदि बिजली उपकरण।

● **गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का विवरण :-**

क्रं.सं.	मु.अं.सं.	धारा	थाना / जनपद
01.	142/2019	धारा 136 विद्युत एक्ट	मांसलपुर / करौली
02.	20/2019	धारा 379/342/411 भा.द.वि.	बसई जगनेर / आगरा
03.	34/2019	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	बसई जगनेर / आगरा
04.	33/2019	धारा 411 भा.द.वि.	बसई जगनेर / आगरा

● **बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-**

01. प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 धुरेन्द्र सिंह थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।
03. उ0नि0 जयपाल सिंह थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।
04. कां0 3234 विवेक कुमार, कां0 2845 वीरेन्द्र सिंह, कां0 5027 विजयपाल सिंह, कां0 विकास थाना बसई जगनेर जनपद आगरा।





मीडिया सेल जनपद आगरा।